कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर

आदेश

नगर निकाय चुनाव 2026 के चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय, क्षेत्र जयपुर में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए, सभी वर्गों के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर करने के लिए, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व विभिन्न वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच तनाव उत्पन्न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा क्रिमीनल रिट पिटिशन संख्या-835/2009 में प्रदत्त निर्देशों के कम में स्क्रीनिंग कमेठी की बैठक दिनांक 29.08.2026 में लिये गये निर्णयानुसार मैं सचिन मित्तल, पुलिस आयुक्त जयपुर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आयुध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर के जिला उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम के संलग्न सूची अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश देता हूँ कि वे अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित पुलिस थाने अथवा लाईसेंसशुदा गन हाउस में जमा करवाकर नियमानुसार शस्त्र जमा की रसीद थानाधिकारी/गन हाउस से प्राप्त कर लेवें ।

शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के 07 दिवस बाद अपना शस्त्र सम्बन्धित थाने/गन हाउस से प्राप्त कर लेवें। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 223 बी.एन.एस. व आयुध अधिनियम, 1959 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

इस आदेश से निम्नलिखित को छूट प्रदान की जाती है-

1. बैंक सुरक्षा कर्मियो, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस् एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है।
2. जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है।
3. मंदिर, कम्पनीज आदि की सुरक्षा में वर्तमान मे कार्यरत सुरक्षा गार्ड।
4. राईफल एसोशियशन एवं स्पोर्टसमैन जो राईफल एसोसियशन के सदस्य होकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया ।

संलग्न-शस्त्र अनुज्ञाधारियों की सूची ।

(सचिन मित्तल)
पुलिस आयुक्त 29/8
जयपुर

क्रमांकः 3794-3806 दिनांकः 29/08/2026

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इन्टेलिजेन्स, राजस्थान जयपुर।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन, अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था आयुक्तालय जयपुर।
6. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, अपराध, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम आयुक्तालय जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम आयुक्तालय जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेंसिंग एवं लीगल पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
9. सहायक शासन सचिव गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान जयपुर।
10. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त जिला उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम आयुक्तालय जयपुर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
12. प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जयपुर।
13. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस आयुक्तालय जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र थाने मे जमा करना सुनिश्चित करें। शस्त्र जमा कराते वक्त जमाकर्ताओं को शस्त्र प्राप्ति की रसीद दी जावे तथा प्राप्त शस्त्रों को सुरक्षित रखा जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि ऐसे जमा शुदा शस्त्रों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 07 दिवस बाद सम्बन्धित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी को आवश्यक रूप से लौटा दिया जावे।

पुलिस आयुक्त
जयपुर
29/8